न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मिसल न0 24 / प्रा0पत्र / 24 तारीख दायरा 12.08.2024

राज0 सरकार जर्ये थानाधिकारी खानपुर

बनाम

जगदीश वगै0

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 233 / 2024 थाना खानपुर जुर्म अन्तर्गत 3,5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 497 भानासुसं वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या आरजे 08 जीए 4768

उपस्थितः– श्री विरेन्द्र सिंह सोनगरा, अभिभाषक प्रार्थी

सहायक निदेशक अभियोजन

–: निर्णय :– दिनांकः 27.08.2024

यह प्रा0पत्र प्रार्थी देवकिशन सुमन आ0 भेरूलाल सुमन निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला बम्बोलिया जागीर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना खानपुर द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 3,5,6,8 व 9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन आरजे 08 जीए 4768 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त जप्त वाहन से किसी भी प्रकार का पशुओं का अवैद्य परिवहन नहीं किया जा रहा था जबकि प्रश्नगत वाहन में 04 दुधारू गायें व 02 छोटी गायें जो ब्रजराज सिंह आ0 छीतरसिंह हाड़ा निवासी मूंडला ग्राम पंचायत किशनपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा के स्वामित्व के थे एवं गोवंश के देखभाल के अभाव में उचित देखभाल और सार संभाल के लिए अपने बहनोई श्री कृष्णपाल सिंह झाला आ0 मनोहर सिंह झाला निवासी हनोतिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के यहां सभी दुधारू पशुओं को रखने हेतु उचित ढ़ंग से सुरक्षा मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए ले जा रहे थे इस बाबत ग्राम पंचायत किशनपुरा जिला बारां का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया किया है। पुलिस को जप्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर झालावाड़

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस में तत्थ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट

अनुसार वाहन आरजे 08 जीए 4768 को अपराध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन **आरजे 08 जीए 4768 में 05 गायें व 01 छोटी गाय (बछड़ी) कुल 06 नग**, व एक अन्य वाहन आर0 जे0 21 जीडी 0746 में 05 गायें व 01 छोटा बछड़ा कुल 06 नग अर्थात दो वाहनों में कुल 12 गोवंश भरे होना तथा गोवंश के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना अंकन किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का आरजे 08 जीए 4768 को पुलिस द्वारा दिनांकः 30.07.2024 को जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन भानासुसं0 की धारा 497 के अन्तर्गत प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से दुधारू गोवशं का परिवहन उचित देखभाल एवं सार संभाल हेतु झालावाड़ जिले में निवासरत अपने रिश्तेदार के यहां किया जा रहा था इस बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत किशनपुरा से जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की गई है। प्रा0पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे।

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि गोवंश का अवैध रूप से परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। परन्तु गोवंश का परिवहन गोवद्य के अपराध के प्रयोजन से नही होने का विश्वास सिद्ध होने की दशा में प्रवहण के साधन का अधिहरण नहीं किया जा सकेगा।

हमने बहस वकील प्रार्थी एवं सहायक निदेशक अभियोजन को सुना एवं प्रार्थना पत्र,रिपोर्ट थानाधिकारी एवं केस डायरी का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टतया यह स्पष्ट है कि परिवहन किये जा रहे गौवंशों में 10 गाय (दुधारू) 02 बछड़े है जिनके परिवहन एवं प्रयोजन की पुष्टि कार्यालय कार्यालय ग्राम पंचायत किशनपुरा से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 30.07.2024 से भी होती है कि उक्त गावंशों का परिवहन उचित देखभाल एवं सार संभाल के लिए किया जा रहा था ना वद्य करने के प्रयोजन से। साथ केस डायरी के अवलोकन से भी पाया गया है कि **सहायक अभियोजन अधिकारी जे0एम0 कोर्ट, खानपुर द्वारा दिनांक 03.08.24 को जारी टिप्पणी कि अनुसंधान अधिकारी ने धारा 3,5,8 गोवंश अधिनियम का अपराध प्रमाणित माना है**

जिला कलेक्टर झालावाड

लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शित करता हो कि गोवंशों का परिवहन राज्य के भीतर से राज्य के बाहर वद्य के प्रयोजन से किया गया हो अतः उक्त धाराओं के तथ्य विद्यमान नहीं होने से प्रकरण किसी भी स्तर पर विफल हो सकता है एवं वाहन की अनुसंधान में भी आवश्यकता शेष नहीं है । अतः उपरोक्त विवेचनों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं थानाधिकारी थाना खानपुर को आदेशित किया जाता है कि प्र0सू0रि0 233/2024 थाना खानपुर द्वारा गोवंश अधिनियम की धारा 3,5,8 व 9 के जुर्म में जप्त वाहन आरजे 08 जीए 4768 को प्रार्थी वाहन मालिक को वाहन स्वामी होने के असल अथवा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर अंतरिम सुपुर्दगी में दिया जावे। निर्णय की प्रति मूल केस डायरी के संलग्न कर थानाधिकारी थाना खानपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांकः 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * झालावाड़ *

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़